पंचायती राज के अधीन प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था (NCTE) :-

डॉ. भागीरथमल
व्याख्याता – लोकप्रशासन विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

सारांश :–

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 संसद द्वारा पारित केन्द्रीय अधिनियम है और समस्त भारत में 1 जुलाई, 1995 से प्रभावी है। अध्यापक शिक्षा के बारे में केन्द्रीय अधिनियम लागू होने पर राज्य अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधान स्वतः ही अप्रभावी हो जाते हैं। यही बात इससे पूर्व वर्षों में जारी किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम पर भी लागू होती है। विधि के अनुसार सामान्य अधिनियम के प्रावधान भी विशिष्ठ अधिनियम के लागू होने पर स्वतः ही अप्रभावी हो जाते हैं। इस तरह अध्यापक शिक्षा के नियमन के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 ही प्रभावी है और इसी का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। इसके अनुसार स्नातक स्तर पर 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त कोई आशार्थी बी0एड0 में प्रवेश का पात्र नहीं है। राज्य सरकार अथवा मान्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए बिना भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में किसी का बी0एड0 में प्रवेश नहीं हो सकता और 210 दिन के नियमित अध्यापन में भाग लिए बिना कोई छात्र बी०एड० परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है। आशार्थी का प्रवेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में उतनी सीटों तक ही सीमित होता है जितनी परिषद ने उस महाविद्यालय के लिए अनुमोदित की हैं। बी0एड0 पत्राचार पाठ्यक्रम केवल उन अध्यापकों हेतु है, जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पहले से ही सेवारत हैं। यह पाठ्यक्रम भी उसी विश्वविद्यालय में आयोजित हो सकता है जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने मान्यता दी है। विश्वविद्यालय के अधिकारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अध्यापक ही परिषद द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या तक ऐसे पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं।"

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई संस्था विश्वविद्यालय प्रवेश का कार्य कर देती है तो उस पाठ्यक्रम से प्राप्त प्रमाण–पत्र / डिग्री रोजगार के लिए पूरे भारत में वैद्य नहीं मानी जायेगी। कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा से बी0एड0 करवाई जाती है।

सामान्य निर्देश

प्री टीचर एजूकेशन टेस्ट 2001

बी0एड0 / शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु : राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों मैं बी० एड० / शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य नियमों के अनुसार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा–प्री टीचर एजूकेशन टेस्ट आयोजित की जा रही है।

बी० एड० / शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम :-

1. राजस्थान के सभी बी०एड० / शिक्षा शास्त्री महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्री टीचर एजूकेशन टेस्ट (पीटीईटी) आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा किसी भी अन्य विश्वविद्यालय की स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा में जो इस विश्वविद्यालय की स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई है। न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा अग्र-उल्लिखित प्रवेश–अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी पीटीईटी के माध्यम से बी0एड0 / शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में आवेदन करने के योग्य हैं। तथापि राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 42 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं वे भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने के पात्र है।
2. पीटीईटी में अहर्ता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुग्रह अंक प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में भी विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत आना चाहिए।

3. पीटीईटी में प्रस्तुतीकरण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी जिसमें उनके नाम के आगे उनके प्राप्तांक लिखें होगें।
4. संकायानुसार उपलब्ध कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ऑवरऑल मैरिट के आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आवंटित की जा सकेंगी चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हों बशर्ते राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी की मैरिट किसी विशेष श्रेणी में राजस्थान के अंतिम प्रविष्ठ अभ्यर्थी की मेरिट से कम नहीं हो। शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी (**Bonafied-residents**) हैं।
5. प्रत्येक संकाय (कला, विज्ञान और वाणिज्य) में उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा :–

1. राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	16 प्रतिशत
2. राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	12 प्रतिशत
3. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	21 प्रतिशत
4. महिला अभ्यर्थी (इनमें से 2 प्रतिशत स्थान परित्यक्ता और विधवा अभ्यर्थियों के लिए है।)	20 प्रतिशत
5. विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (अन्धे. बहरे और गूंगे अभ्यर्थियों सहित)	03 प्रतिशत

न्यूनतम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर–

1. जहां मेडिकल कॉलेज है वहां के सम्बद्ध विशेषज्ञ रीडर से चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर और
2. जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं वहां के सी.एम.एच.ओ. से अथवा सम्बद्ध विशेषज्ञता रखने वाले जूनियर स्पेशलिस्ट से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर
3. सेवारत/सेवामुक्त/सेवानिवृत रक्षा कर्मी अथवा उसके वार्ड (आश्रित) के लिए। 05 प्रतिशत

पुनश्च

नियम 4 और 5 का खुलासा

(1) राजस्थान की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(2) वार्ड (आश्रित) से अभिप्राय है – पुत्र, पुत्री, पत्नी/पति/ सगे भाई–बहिन भी रक्षाकर्मी के वार्ड माने जा सकते हैं बशर्ते वे उसके आश्रित हो और उनके माता–पिता जीवित न हो।

(3) परित्यक्ता महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) रक्षाकर्मी या उसके आश्रित के लिए – यूनिट मेजर / सचिव, सैनिक बोर्ड का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) राजस्थान का बोनाफाइड निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु, किसी सक्षम अधिकारी– जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त बोनाफाइड निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

विशेष :

(अ) विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उसका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण–पत्र पेश किया जाए और विवाह प्रमाण–पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, परीक्षा में बैठने के लिए भरे गये आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जाएं।

(ब) रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं / थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं उन्हें भी बी०एड० / शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है बशर्ते उन्होंने पीटीईटी में

बैठने के लिए भरे गये आवेदन–पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण–पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट प्रदत्त बोनाफाइड निवास का प्रमाण–पत्र संलग्न किये हों। किसी भी स्तर पर 'यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश भी मिल चुका हो तो वह भी निरस्त हो जाएगा।

(6) पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में से पहले सामान्य सीटों हेतु चयन किया जायेगा, प्रत्येक संकाय में उपलब्ध स्थानों के अनुपात में तत्पश्चात् आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।

(7) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा वरीयता क्रम से राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के पांच 'विकल्प दिये जायेंगे जहां प्रेक्टिस टीचिंग हेतु शिक्षण विषय उपलब्ध हों। किसी अभ्यर्थी को महाविद्यालय / संस्थान आवंटित करते समय उसकी योग्यता / पसन्द के अतिरिक्त आरक्षण, स्थानों की उपलब्धता और विषयों की उपलब्धता पर भी विचार किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को अपनी पसन्द का शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है तो वह राज्य के किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जा सकता है बशर्ते वह मेरिट में हो। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन / स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का दावेदार नहीं हो जाता।

(9) महिला अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए दिये गये उनके विकल्पों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। उनमें सीटें उपलब्ध न होने पर उन्हें उनके विकल्प के अनुसार सहशिक्षा वाले महाविद्यालयों में भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

(10) बी0एड0 परीक्षा में बैठने की पात्रता :

राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से अथवा विश्वविद्यालयों की सिण्डीकेट / बोर्ड ऑफ मेनेजमेन्ट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी०ए०ए० / शास्त्री डिग्री लेने के बाद दो शिक्षण विषयों (नीचे नोट में परिभाषित) सहित जिसने राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में एक शिक्षा–सत्र में नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और जिसने महाविद्यालय के स्टाफ के मार्गदर्शन में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पूरे शिक्षा–सत्र में न्यूनतम 40 लेसन (पाठ) प्रस्तुत किये हों ऐसा अभ्यर्थी ही बी0एड0 परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

नोट – (1) शिक्षण विषय से अभिप्राय है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक/ शास्त्री स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो। यह विषय अनिवार्य ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय का तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। शिक्षण विषय में से ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः अर्हताकारी विषय– सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा / भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास / प्रारम्भिक गणित जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये हैं या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ़ कर द्वितीयादि वर्षों में छोड़ दिया गया हो– "शिक्षण विषय" के रूप में नहीं माना जायेगा। ऑनर्स स्नातकों के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जायेगा बशर्ते अभ्यर्थी ने उस विषय को न्यूनतम तीन शिक्षा सत्रों तक पढ़ा हो और प्रत्येक सत्र के अंत में उसकी परीक्षा दी हो।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बी.ए. डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र– इन विषयों में से किन्हीं दो विषयों को लेकर प्राप्त की है उन्हें बी०एड० परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान (Social Studies) विषय लेने की अनुमति होगी।

(3) कृषि स्नातकों को बी.एड. परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान और जीव–विज्ञान (Biology) विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेंगी जिन्होंने अपनी बी.एससी. डिग्री होम साइन्स विषय लेकर अथवा बी.एससी. परीक्षा (1) रासायन शास्त्र (Chemistry) और (2) जीवन विज्ञान (Life Science) का कोई विषय अर्थात जीव–विज्ञान (Biology) अथवा वनस्पति विज्ञान (Botany) अथवा जन्तु विज्ञान (Zoology) विषय लेकर उत्तर्ण की है।

(4) जिस अभ्यर्थी ने बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है, वह बी.एड. परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने का पात्र होगा।

सन्दर्भ सूची :–

1. (पी. टी.ई.टी) 2001, सामान्य दिशा निर्देश, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
2. दैनिक भास्कर, कोटा संस्करण, दिनांक 4.4.2000 पृ.6
3. राजस्थान पत्रिका, कोटा संस्करण, दिनांक 08.02.2002 पृ. 5